

स्वामी केशवानन्द

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 31.07.2010 को प्रातः 11.00 बजे सभागार कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 78वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :—

निम्न सदस्य उपस्थित थे :—

1.	प्रोफेसर एस.पी. तिवारी, कुलपति, स्वाकेराकृषि, बीकानेर ।	अध्यक्ष
2.	श्री प्रीतम सिंह, संभागीय आयुक्त, बीकानेर ।	सदस्य
3.	डॉ. एम.एस. राठौड़	सदस्य
4.	प्रो. मनिन्द्रा कपूर	सदस्य
5.	डॉ. रामदेव	सदस्य
6.	श्री परता राम सियाग	सदस्य
7.	डॉ. राजेश मान, संयुक्त निदेशक क्षेत्र पशु पालन विभाग (प्रमुख शासन सचिव प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	डॉ. जी.एल. केशवा	सदस्य
9.	डॉ. एम.पी. साहू	सदस्य
10.	डॉ. जी.एन. परिहार	सदस्य
11.	डॉ. गोविन्द सिंह	सदस्य
12.	डॉ. अजीत सिंह शेखावत	सदस्य
13.	डॉ. आई.जे. गुलाटी	सदस्य
14.	श्री रामदेव गोयल, कुल सचिव, स्वाकेराकृषि, बीकानेर ।	सदस्य सचिव

श्री एल. एन. गहलोत, वित्त नियंत्रक, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उच्च शिक्षा व डॉ० टी.ए. मोरे प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने श्री प्रीतम सिंह, संभागीय आयुक्त एवं प्रबन्ध मण्डल में भाग लेने वाले अन्य सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने नये मनोनीत सदस्यों डॉ एम.एस.राठौड़ एवं प्रो० मनिन्द्रा कपूर का स्वागत किया साथ ही डॉ एस.एस. आचार्य एवं डॉ गोपाल सिंह के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई ।

एसकेराकृषि/बोम-78/ 2010-2/1134	76वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.11.2009 व 77वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.05.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि 76वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30-11-2009 व 77वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 3-5-2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है ।
-----------------------------------	--


एसकेराकृवि / बोम—78/ 2010-2/1135	<p>35वीं शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने वाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 35वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 30-07-2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न के साथ की जाएः—</p> <p>AU/AC-35/2010-2/67(2) & AU/AC-35/2010-2/68(3)</p> <p>पारित किया गया कि वित्तीय भार वाले मामलों में वित्त नियंत्रक की सहमति/पुष्टि करवाकर लागू किया जावें ।</p>
एसकेराकृवि / बोम—78/ 2010-2/1136	<p>76वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.11.2009 व 77वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.05.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही वाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि 76वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30-11-2009 व 77वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 3-5-2010 के कार्यवाही विवरण का निम्न के साथ पुष्टि की जाएः—</p>
	<p>एसकेराकृवि / बोम—75/2009-2/1111</p>
	<p>राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पृथक से स्थापित हो चुका हैं अतः दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स हेतु सम्बद्ध की गई संस्थाओं से निरीक्षण के दौरान कमी पाये जाने पर वसूली गई शास्ती रूपये 25000/- के संबंध में संबंधित संस्थाओं द्वारा की गई अपीलों का निर्स्तारण राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाना है । इसके अतिरिक्त उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण निर्स्तारण हेतु वहीं भिजवा दिये जावें ।</p>
एसकेराकृवि / बोम—78/ 2010-2/1137	<p>माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों / अधिसूचना की पुष्टि करने वाबत् ।</p> <p>आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/ 2010 / 1002 दिनांक 25.03.2010</p> <p>आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/ 2010 / 1003 दिनांक 25.03.2010</p> <p>आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/ 2010 / 1319 दिनांक 15.07.2010</p> <p>आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-2/ 2010 / 1252 दिनांक 05.06.2010</p> <p>आदेश क्रमांक प./एसकेराकृवि/स्था./ग्रुप-1/ 2010 / 1320 दिनांक 15.07.2010</p> <p>अधिसूचना क्रमांक सीओई/राकृवि/यू.एम./2009/867-885 दिनांक 08.09.2009</p> <p>अधिसूचना क्रमांक सीओई/राकृवि/यू.एम./2010/45-63 दिनांक 11.03.2010</p> <p>अधिसूचना क्रमांक सीओई/राकृवि/यू.एम./2010/ 188-203 दिनांक 24.07.2010</p>
	<p>पदों की बहाली के संबंध में जारी किये गये आदेशों पर प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि संयुक्त निदेशक क्षेत्र द्वारा असहमति जताने पर सदन में विचार विमर्श के उपरान्त बाकी सभी सदस्यों ने माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गये आदेशों की पुष्टि की । तदनुसार कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गये आदेशों की बहुमत से पुष्टि की जाती हैं। बाकी सभी आदेशों की सर्वसम्मति से पुष्टि की जाती हैं । इस प्रकार माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी किये गये उक्त आदेशों की पुष्टि की जाती हैं ।</p>

एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1138	<p>विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 अनुमोदन बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 का अनुमोदन किया जाता है ।</p>
एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1139	<p>कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान से सहायक आचार्य चयनित ग्रेड में पदोन्नति बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को स्थगित किया जाए ।</p>
एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1140	<p>स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 की धारा 29 के अन्तर्गत बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 7 (प्रबंध मण्डल) के उपनियम (II) व (III) में संशोधन करने बाबत् ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 की धारा 29 के अन्तर्गत बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों के नियम 7 (प्रबंध मण्डल) के उपनियम (II) व (III) में निम्न संशोधन कर अनुमोदन हेतु कुलाधिपति महोदय को भेजा जाएः—</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त । 2. सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक प्रगतिशील कृषक महिला । 3. सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक प्रतिष्ठित कृषि उद्योगपति ।
एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1141	<p>To consider the constitution of University Provident Fund Advisory Committee.</p> <p>It was resolved that P.F. should not be diverted for pension or any other purpose. Further it was resolved that a modified agenda should be placed before the next BOM for creation of a pension fund.</p>
एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1142	<p>To consider the letter No. COA/PA/10/393 dated 30.06.2010 received from Dean & Faculty Chairman, College of Agriculture, Bikaner.</p> <p>It was resolved to approve and an additional fee, of Rs.20000/- be charged from the students per semester.</p>
एसकेराकृवि / बोम-78/ 2010-2/1143	<p>श्री परता राम चौधरी, सदस्य विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा प्राप्त कार्यसूची पर विचार करने बाबत् ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विश्वविद्यालय में नवनिर्मित किसानघर का नाम पूर्व विधायक स्वार्गीय भीमसेन चौधरी के नाम पर किया जावें । यह पारित (Resolved) किया गया कि नवनिर्मित किसानघर का नाम रखने हेतु अन्य नाम भी आमंत्रित कर जीवन परिचय के साथ सदन के सामने प्रस्तुत किया जाए । 2. महान विचारक तथा शिक्षाविद स्वामी केशवानन्द के नाम पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त कृषि स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति शुरू की जावें । यह पारित (Resolved) किया गया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें छात्रवृत्ति पर होने वाले व्यय एवं नियमों के बारें में विचार विमर्श कर संबंधित संस्था को अवगत करवाया जाए । साथ ही यह पारित किया गया कि स्वामी केशवानन्द के जीवन परिचय की पुस्तकें लाइब्रेरी में रखी जाएं और विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उनका जीवन परिचय दिया जाए ।

	<p>3. प्रबन्ध मण्डल की गत बैठक में लिए गए निर्णयानुसार सहायक प्राध्यापकों का सह प्राध्यापक का पदनाम देने बाबत् लिए गए निर्णय की पालना ।</p> <p>यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को पुनः यूजीसी/आईसीआर एवं माननीय न्यायालय में दायर याचिका आदि के संदर्भ में परीक्षण कर राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु लिखा जावें ।</p>
एसकेराकृवि/बोम-78/ 2010-2/1144	<p>अन्य कोई भी प्रकरण हो तो माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार विमर्श करने बाबत् ।</p> <p>सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये गये तथा यह पारित किया गया कि :—</p> <ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक परिषद की बैठक प्रबन्ध मण्डल की बैठक से लगभग एक माह पूर्व करवाई जाए । निदेशक अनुसंधान कृषि अपने अधीनस्थ समस्त कृषि अनुसंधान केन्द्रों की शोध प्राथमिकताओं के आधार पर हुए प्रगति विवरण से सदन को अवगत करवायें । शैक्षणिक परिषद के कार्यवाही विवरण में “approve” के स्थान पर “recommend” लिखा जाए ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।


(रामदेव गोयल)
कुल सचिव
एवं
सदस्य सचिव


(एस.पी. तिवारी)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल